राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(1) वित्त/आब/2022 दिनांकः 22 अप्रेल, 2022

आज्ञा

आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2022–23 एवं वर्ष 2023–24 में संशोधन

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 05.02.2022 द्वारा जारी की गई आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2022–23 व 2023–24 (आज्ञा दिनांक 28.02.2022, 07.03.2022 व 16.03.2022 द्वारा यथासंशोधित) के निम्नलिखित बिन्दुओं को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

(i) बिन्दु संख्या 4.8.1 में अंकित **"परन्तु बीयर निर्माण इकाई द्वारा इकाई को कुल उत्पादन क्षमता के 60 प्रतिशत से कम उत्पादन किये जाने पर 4 रूपये प्रति बल्क लीटर व उत्पादन क्षमता के 50 प्रतिशत से भी कम उत्पादन किये जाने पर 5 रूपये प्रति बल्क लीटर की दर से बोटलिंग फीस जमा करानी होगी।"** को विलोपित किया जाता है।

(ii) **मदिरा की खुदरा दुकानों के बंदोबस्त हेतु दिनांक 25.04.2022 के बाद आयोजित ऑनलाईन निलामी के माध्यम से वर्ष 2022–23 के लिये आबंटित मदिरा दुकानों के लाईसेंसधारियों पर नीति के बिन्दु संख्या 2.7.2 तथा 2.7.3 प्रभावी नहीं होंगे, इन दुकानों के लाईसेंस का वर्ष 2023–24 के लिये नवीनीकरण हेतु शर्तों का निर्धारण तत्समय राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा तथा उन निर्धारित शर्तों पर लाईसेंस का नवीनीकरण कराना इन दुकानों के अनुज्ञाधारियों के लिये स्वैच्छिक होगा।**

(iii) बिन्दु संख्या 2.2 के अन्त में **"मदिरा की खुदरा दुकानों के सफल बंदोबस्त हेतु पड़त दुकानों का आवंटन राजस्थान स्टेट बेवरजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को आरटीडीसी शॉप्स हेतु निर्धारित वार्षिक लाईसेंस फीस पर किया जा सकेगा तथा इन दुकानों के लिये मदिरा उठाव की न्यूनतम गारंटी राशि का प्रावधान नहीं होगा।"** जोड़ा जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (आबकारी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय आबकारी मंत्री महोदय, राजस्थान।
4. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान।
7. आबकारी आयुक्त, उदयपुर को नीति में सम्मिलित निर्देशों को लागू किये जाने हेतु अधिनियम/नियम/आदेश में संशोधन अथवा नवीन निर्देश/आदेश/अधिसूचना जारी किया जाना अपेक्षित होने पर उन अधिसूचनाओं/आदेशों के प्रारूप शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश के साथ।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त संभागीय पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान।
10. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को नीति के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
11. समस्त जिला क्लेक्टर्स, राजस्थान।
12. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
13. समस्त अतिरिक्त आयुक्त जोन, आबकारी विभाग, राजस्थान।
14. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, राजस्थान।
15. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय जयपुर को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (आबकारी) विभाग